जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट

विषयः– प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत जविप्रा योजनाओं में ऋण आधारित सब्सिडी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर।

प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में ऋण आधारित सब्सिडी प्राप्त करने हेतु कैम्प कार्यक्रम दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जा चुका है उक्त कैम्प कार्यक्रम को जविप्रा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। अतः उक्त कार्यक्रम को जविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

संयुक्त आयुक्त
(संसाधन विकास एवं समन्वय)

सिस्टम एनालिस्ट
जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर

क्रमांकः जविप्रा / आरएमएण्डसी / प्रा.आ.यो. / 2017 / डी– 337
दिनांकः 3/10/2017

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जवाहरलाल नेहरू मार्ग इन्दिरा सर्किल, जयपुर

क्रमांकःप.3(1)जविप्रा / आरएमएण्डसी / एएचपी / 2017 / डी– 236 दिनांकः 27/9/2017

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत जविप्रा योजनाओं में ऋण आधारित सब्सिडी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिये आवास (शहरी) 2022 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के परिवारों को आवास निर्माण हेतु केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराये जाने के संबंध में गाईड लाईन्स दिनांक 17.06.2015 एवं पुनः ऋण आधारित सब्सिडी योजना **Credit Linked Subsidy Scheme) (CLSS)** की नवीनतम ऑपरेशनल गाईड लाईन्स 01 जनवरी 2017 को जारी की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सृजित विभिन्न जोनवार आवासीय योजनाओं में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग **(EWS)** एवं अल्प आय वर्ग **(LIG)** के पात्र आबंटियों को आवास निर्माण हेतु ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना **(CLSS)** के आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने, बैंक / वित्तीय संस्था से शिविर में ही (ऑन– द स्पॉट) सब्सिडी हेतु ऋण स्वीकृत करवाने, प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड पर निर्माण हेतु बैंक / वित्तीय संस्था से लिये जाने वाले ऋण हेतु उपायुक्त जोन द्वारा हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय अनुबंध (Tripartite Agreement) जारी करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण परिसर में स्थित जन सुनवाई केन्द्र में निम्न प्रकार शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित हैः–

क्र.स.	जोन सं.	योजना का नाम	शिविर तिथि एवं स्थल	शिविर प्रभारी
1.	14	हरित विहार	05.10.17 से 06.10.17 तक जन सुनवाई केन्द्र जविप्रा परिसर प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक	उपायुक्त जोन 14
2.	14	सुर्य नगर ए टूटोली चाकसू		
3.	14	सुर्य नगर बी टूटोली चाकसू		
4.	14	बक्सावाला		
5.	12	रघुनाथ विहार रामसिंहपुरा	09.10.17 से 11.10.17 तक जन सुनवाई केन्द्र जविप्रा परिसर प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक	उपायुक्त जोन 12
6.	12	मुण्डिया रामसर		
7.	12	शौर्य नगर हिम्मपुरा		
8.	12	दीनदयाल नगर, भम्भोरी		
9.	12	आनन्द विहार, पृथ्वीसिहरपुरा		
10.	12	संकलप नगर संझारिया		
11.	12	मुर्तिकला विहार रोजडा		
12.	12	गगन विहार गढोता		
13.	12	पन्नाधाय नगर ग्राम बगेश		
14.	9	निलय कुंज सिरोली मुरलीपुरा	12.10.17 से 13.10.17 तक जन सुनवाई केन्द्र जविप्रा परिसर प्रातः 10.00 से 5.00 बजे तक	उपायुक्त जोन 9
15.	9	खूसर मैन		
16.	9	खूसर विस्तार		

1. आवंटियों द्वारा शिविर में उपस्थित बैंक / ऋणदात्री संस्थाओं से आवास ऋण आवेदन एवं स्वीकृति हेतु वांछित संभावित दस्तावेज भी साथ लाये जावें यथा.......................

आवेदित भूखण्ड से संबंधित मूल दस्तावेज यथा आवंटन–पत्र, साईट प्लान, राशि जमा की रसीदे, कब्जा–पत्र, भूखण्ड का पट्टा, आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक (पिछले 06 माह की प्रविष्टि सहित), आवेदन के समय के नाम में बैंक खाता होना आवश्यक है, वेतन भोगी कर्मचारी है तो पिछले माह की सेलेरी स्लीप, पिछले तीन वर्ष की आयकर रिटर्न की छायाप्रति (यदि हो), स्वः नियोक्ता है तो अपनी आय का स्वः घोषणा पत्र, पत्र व्यवहार का पता, स्वयं के मोबाईल नम्बर, आवासीय पते के सबूत, अनुमानित निर्माण लागत का विवरण, प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र

2. शिविर में उपायुक्त जोन द्वारा बैंक/वित्तीय संस्था में ऋण हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध (Tripartied Agreement) हस्ताक्षर कर जारी से पूर्व मूल आबंटी द्वारा भूखण्ड के पेटे देय समस्त बकाया राशि यथा लीज (Lease) पुर्नग्रहण शुल्क (Resumption Charges) इत्यादि प्राधिकरण में जमा कराये जाने पर पट्टा जारी किया जा जावेगा। ऋण सब्सिडी के लिये आवेदक के नाम पट्टा जारी होना अनिवार्य है।

3. **ऋण स्वीकृति एवं स्वीकृति ऋण राशि का बंटवारा (Disbursal) में प्रायः निम्न प्रक्रिया रहेगीः–**

- बैंक/ऋण दाता वित्तीय संस्थान के साथ भूखण्ड हेतु ऋण आवेदक ऋण दस्तावेज (लोन एग्रीमेन्ट) पर हस्ताक्षर, जिस भूखण्ड पर निर्माण हेतु आवास ऋण स्वीकृत किया गया उस भूखण्ड का मूल पंजीकृत पट्टा, साईट प्लान, जमा की रसीदे, आबटन–पत्र, कब्जा पत्र इत्यादि ऋणदाता बैंक ऋणदात्री संस्था को समर्पित किया जावेगा, भूखण्ड निर्माण प्रारम्भ करने के पश्चात् निम्न चरणों में ऋण वितरण किया जायेगा, ऋणी द्वारा नीव/पिलन्थ तक का काम निर्माण कार्य स्वयं के वित्तीय संसाधन से करना होगा, ऋण की पहली किश्त ऋण राशि की 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक होगी। यह राशि ऋणी के बैंक खाते में सीधे ही ऋणदात्री संस्था द्वारा जमा की जायेगी, ऋण की दूसरी किश्त मकान के छत (Roof Casting) के पूर्व ऋण राशि का 35 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक किया जायेगा, ऋण की अंतिम किश्त आवास निर्माण की फिनिशिंग स्टेज पर किया जायेगा, ऋण एग्रीमेन्ट की शर्तो के अनुसार दर्शायी ब्याज दर पर मात्र वितरीत किये गये ऋण की राशि पर ब्याज देय होगा।

4. **ऋण आवेदक को सब्सिडी का भुगतान :–**

- सब्सिडी का भुगतान समय–समय पर भारत सरकार द्वारा (CLSS) के संबंध में जारी ऑपरेशनल गाईड लाईन्स के अनुसार किया जायेगा, बैंक/ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा ऋण राशि वितरण (पार्ट/पूर्ण) के 06 माह के भीतर सब्सिडी NHB/HUDCO से बैंक/ऋणदात्री संस्थाओं को प्राप्त होने पर ऋणी के ऋण खाते में जमा की जावेगी, सब्सिडी की मांग ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से NHB/HUDCO को भेजी जायेगी। NHB/HUDCO की जांच पश्चात् ही ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से आबंटी के ऋण खाते में सब्सिडी की राशि हस्तान्तरण की जाती है। सब्सिडी की राशि का उपयोग ऋण खाते से किश्त अथवा ऋण अवधि को कम करने में किया जा सकेगा।

अतः जविप्रा की उक्त योजनाओं में स्थित EWS/LIG के समस्त आवंटियों को सूचित किया जाता है कि उक्त शिविरों में ऋण आधारित सब्सिडी (CLSS) के लिये आवेदन कर योजना का अधिक से अधिक लाभ उठावें।

भवदीय

(एच. गुइटे)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, आयुक्त जविप्रा,जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव जविप्रा, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. नोडल अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना, नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक (वित्त / अभियांत्रिकी–प्रथम / द्वितीय) जविप्रा।
2. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन / पूर्व / पश्चिम / भूमि / एल.पी.सी / पी.आर.एन / पुर्नवास) जविप्रा।
3. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय / सिस्टम मैनेजमेन्ट) जविप्रा,जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–विद्युत जविप्रा।
5. उपायुक्त जोन–9,12,14 जविप्रा।
6. अधिशाषी अभियन्ता जोन–9,12,14 जविप्रा।
7. विशेषाधिकारी जनसम्पर्क अधिकारी को भेजकर लेख है कि तत्काल उक्त शिविरों की सार्वजनिक सूचना का दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र भास्कर / पत्रिका (समस्त संस्करण) में प्रकाशित करवाकर, प्रकाशित की गई सार्वजनिक सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करावें।
8. उपायुक्त स्टोर जविप्रा।
9. केयर टेकर जविप्रा, जयपुर कैम्प हेतु आवश्यक कार्यवाही (टेबल, कुर्सी एवं जलपान) की व्यवस्था हेतु प्रेषित है।
10. प्रतिनिधि ऋणदात्री संस्था श्री .... पद.................................... पता.............................. ....।
11. रक्षी पत्रावली।

(गिरि राज अग्रवाल)
संयुक्त आयुक्त
(संसाधन विकास एवं समन्वय)